

बिहार विधान परिषद्

कार्य सूची

संख्या-15

185वां सत्र

मंगलवार, दिनांक 21 मार्च, 2017

12.00 मध्याह्न

प्रश्नोत्तर

- 1 अल्पसूचित प्रश्न
- 2 तारांकित प्रश्न

औपचारिक कार्य

3. सचिव, विधेयक संबंधी संदेश, यदि कोई हो, पढ़ेंगे।
4. सचिव, विधान सभा से स्वीकृत विधेयक, यदि कोई हो, मेज पर रखेंगे।

परिनियत कार्य

5. प्रभारी मंत्री, बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा-31 (3) के अंतर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं उस पर विश्वविद्यालय स्तर से की गयी कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखेंगे।


ध्यानाकर्षण

6. श्री सच्चिदानंद राय, सारण जिलान्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, इसुआपुर के भवन निर्माण के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।
7. श्री केदार नाथ पाण्डेय, भवन निर्माण विभाग में अतिरिक्त समायोजित 8 सहायक विद्युत अभियंताओं एवं 2 कनीय विद्युत अभियंताओं की सेवा उनके पैतृक विभाग को वापस करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।
8. श्री रीतलाल राय, नौबतपुर प्रखंड के नवडीहा ग्राम में सड़क, बिजली, विद्यालय एवं चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

9. श्री राजन कुमार सिंह, औरंगाबाद जिले के ओबरा प्रखंड के कारा बाजार से जल निकासी के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।
10. श्री देवेश चन्द्र ठाकुर, वित्त रहित शिक्षा नीति के तहत अनुदानित विद्यालयों का अनुदान निर्गत करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।
11. श्री दिलीप राय, बिहार राज्य खाद्य निगम के परिवहन कार्य में लगे सीतामढ़ी एवं अन्य जिलों के मजदूरों के पारिश्रमिक की राशि के भुगतान में हुई अनियमितता के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।
12. श्री कृष्ण कुमार सिंह, इंडिया पावर कॉरपोरेशन, बोध गया लिमिटेड को गया जिले में विद्युत सप्लाई एवं रेवेन्यू कलेक्शन से मुक्त कराने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।
13. श्री दिनेश प्रसाद सिंह, मुख्यमंत्री के सात निश्चय योजना के क्रियान्वयन के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

**वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक पर विभागवार सामान्य वाद-विवाद**


14. वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक पर विभागवार सामान्य वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर  
(परिवहन, स्वास्थ्य, अल्पसंख्यक कल्याण, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग)
15. अन्य नितान्त आवश्यक कार्य, यदि कोई हो।

  
 (सुनील कुमार पंवार)  
 सचिव  
 बिहार विधान परिषद्

ज्ञापांक-वि.प.वि.- 07/2017-372 (3) वि.प.

दिनांक-20.3.2017

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय उप मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रीगण/माननीय मुख्यमंत्री के आवास/मुख्यमंत्री सचिवालय (चार प्रतियों में)/महामहिम राज्यपाल के सचिव, बिहार/माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आवास एवं बिहार विधान सभा स्थित कार्यालय वेशम/ लोकायुक्त, बिहार/महाधिवक्ता, बिहार / बिहार सरकार के सभी विभाग तथा विभागाध्यक्ष / सभी राज्यों के विधान मंडलों के सचिव/ लोकसभा तथा राज्यसभा सचिवालय, नई दिल्ली / पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली/बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना/ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार/अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना/ समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

  
 (शम्भू शरण तिवारी)  
 अवर सचिव  
 बिहार विधान परिषद्